जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./16/डी– 148 दिनांकः– 11-3-16

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 123वीं बैठक दिनांकः 11.03.16 को प्रातः 10.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में "चिन्तन सभा कक्ष" में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		123:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 122वीं बैठक दिनांक 08.02.16 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं बैठक 113वीं से 122वीं की पालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 122वीं बैठक दिनांक 08.02.16 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। बैठक संख्या 113 से 122 की पालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा शेष प्रकरणों की अविलम्ब अनुपालना करने हेतु उपायुक्तों को निर्देश दिए गए।
2.	1	123:2	पुलिस अधीक्षक (प्रशासन), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर को झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर में भूखण्ड संख्या जे–1 का आवंटन करने बाबत।	एलपीसी की 120वीं बैठक दिनांक 27.10.15 में ब्यूरों को भूखण्ड संख्या जे–1 क्षेत्रफल 3400 वर्गमीटर आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। अब पी.टी. सर्वे पश्चात मौके पर क्षेत्रफल अधिक पाए जाने पर उपायुक्त जोन–1 द्वारा पुलिस अधीक्षक (प्रशासन), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर को झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर में भूखण्ड संख्या जे–1 क्षेत्रफल 3562.23 वर्गमीटर का आवंटन करने हेतु पुनः एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर पूर्व में किये गये आवंटन में संशोधन कर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों को झालाना संस्थानिक क्षेत्र का भूखण्ड संख्या जे–1 क्षेत्रफल 3562.23 वर्गमीटर भूमि योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
3.	2	123:3	निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग को प्रस्तावित रोप–वे परियोजना के लॉअर स्टेशन के समीप स्थित 1476 80 व.मी. के भूखण्ड के आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–2 द्वारा निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग को प्रस्तावित रोप–वे परियोजना के लॉअर स्टेशन के समीप स्थित भूखण्ड क्षेत्रफल 4476.80 व.मी. को नवीन संग्रहालय हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड का End Use पी.डब्ल्यू.सी. में होटल से संस्थानिक किये जाने हेतु प्रस्तुत किया हुआ है। बैठक के दौरान निदेशक (आयोजना) ने बताया कि उक्त भूखण्ड जविप्रा योजना का ही हिस्सा है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त भूखण्ड का End Use परिवर्तन संस्थानिक होने की शर्त पर योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
4.	9	123:4	ईजीआईएस हैल्थ केयर सर्विस प्रा.लि. को जविप्रा की योजना रामचन्द्रपुरा के भूखण्ड संख्या 32 के आवंटन बाबत।	एलपीसी की 121वीं बैठक में ईजीआईएस हैल्थ केयर सर्विस प्रा.लि. को ग्राम रामचन्द्रपुरा के खसरा नं. 273 क्षेत्रफल 16524.91 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण स्क्रीनिंग कमेटी को भिजवाने का निर्णय लिया गया था। बैठक के दौरान उपायुक्त ने बताया कि गोनेर में सड़क चौडाई करने से प्रभावित व्यक्तियों हेतु ग्राम रामचन्द्रपुरा के खसरा नं. 273 में प्लानिंग की गई है। अतः उपायुक्त द्वारा उक्त भूमि के स्थान पर ईजीआईएस हैल्थ केयर सर्विस प्रा. लि. को जविप्रा की योजना रामचन्द्रपुरा के भूखण्ड संख्या

SA/R/1097 1413

(एल.पी.सी.) आयुक्त विकास प्राधिकरण, जयपुर

				32 क्षेत्रफल 20387.01 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर ईजीआईएस हैल्थ केयर सर्विस प्रा.लि. को आवंटन का पूर्व में लिया गया निर्णय निरस्त कर जविप्रा की योजना रामचन्द्रपुरा के भूखण्ड संख्या 32 क्षेत्रफल 20387.01 वर्गमीटर योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर की 200 प्रतिशत + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने हेतु प्रस्ताव स्क्रीनिंग कमेटी को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
5.	11	123:5	**श्रीमती किरण देवी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार को अनुपम विहार आवासीय योजना में आवेदक को पूर्व में आवंटित भूखण्ड संख्या डी–351 का बढे हुए क्षेत्रफल को आवंटित किए जाने हेतु।**	एलपीसी की 119वीं बैठक दिनांक 11.09.15 में श्रीमती किरण देवी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार को अनुपम विहार आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या डी–351 क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर में बढे हुये क्षेत्रफल 49.96 वर्गमीटर को आवंटन पत्र जारी करने की दिनांक को प्रभावी आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल की राशि आवंटन के समय की आवासीय आरक्षित दर रूपये 3800/– प्रति वर्गमीटर से अथवा वर्तमान आरक्षित दर रूपये 8000/– प्रति वर्गमीटर से ली जावे, के निर्णयार्थ पुनः एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगरीय विकास विभाग के आदेश प. 3(543)नविवि/3/2009 दिनांक 13.10.11 में आवंटन के समय बताये गये क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल बढ़ जाने व उसका स्वतंत्र उपयोग संभव न होने पर, बढे हुये क्षेत्रफल को स्ट्रीप ऑफ लैण्ड न मानते हुये उक्त हिस्सा भूखण्ड का ही अविभाज्य हिस्सा माना है व अधिक क्षेत्रफल को वर्तमान आरक्षित दर पर आवंटित किया जाना उचित माना है। समिति की 121वीं बैठक में इसी के अनुसार निर्णय किए गए है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त बढे हुए क्षेत्रफल को स्ट्रीप ऑफ लेण्ड न मानकर भूखण्ड का अविभाज्य हिस्सा माना जाकर बढा हुआ क्षेत्रफल 49.96 वर्गमीटर को योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर 8000/– रूपये प्रति वर्गमीटर पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
6.	13	123:C	**श्री इन्द्र कुमार जैन, श्री महेश कुमार जैन, श्री राजेन्द्र कुमार जैन, श्री अशोक कुमार जैन को ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या बी–256, बी–257, सी–60 क्षेत्रफल क्रमशः 92.50, 92.50 व 62.50 वर्गमीटर बढ़ जाने के कारण बढे हुये क्षेत्रफल का आवंटन करने बाबत।**	उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट के अनुसार श्री इन्द्र कुमार जैन, श्री महेश कुमार जैन, श्री राजेन्द्र कुमार जैन, श्री अशोक कुमार जैन को ट्रांसपोर्ट नगर योजना के भूखण्ड संख्या बी–256, बी–257, सी–60 क्षेत्रफल क्रमशः 195 वर्गमीटर, 195 वर्गमीटर व 395 वर्गमीटर का आवंटन मुआवजे के तौर पर निःशुल्क किया गया था। प्रार्थी को कुल 8705 वर्गमीटर भूमि आवंटन की जानी थी लेकिन जो भूखण्ड आवंटित किये गये उनका क्षेत्रफल 8430 वर्गमीटर है। इस प्रकार कुल 275 वर्गमीटर भूमि कम आवंटित हुई है। उक्त भूखण्ड संख्या बी–256, बी–257, सी–60 में क्रमशः 92.50, 92.50 व 62.50 वर्गमीटर क्षेत्रफल बढ़ रहा है। उपायुक्त द्वारा इसका कम आवंटित हुई भूमि में समायोजन कर आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवेदक की शेष रही भूमि के एवज में मौके पर भूखण्ड संख्या बी–256, बी–257, सी–60 में उपलब्ध क्रमशः 92.50, 92.50 व 62.50 वर्गमीटर भूमि दिये जाने का निर्णय लिया गया।
7.	13ए	123:7	श्रीमती लीलावती देवी पत्नी स्व. श्री ताराचन्द को भूखण्ड संख्या ई–61 क्षेत्रफल 90 व. मी. पीताम्बरा आवासीय	उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट के अनुसार श्रीमती लीलावती देवी पत्नी स्व. श्री ताराचन्द को पीताम्बरा आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या ई–61 क्षेत्रफल 90 व. मी. आवंटन किया गया था। परन्तु मौका रिपोर्ट अनुसार

(एल.पी.सी.)
अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			योजना के बढे हुये क्षेत्रफल 23.25 व.मी. का आवंटन कराने के संबंध में।	**उक्त भूखण्ड** का क्षेत्रफल 23.25 व.मी. अधिक है। अतः **उपायुक्त** द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल 23.25 व.मी. के आवंटन **हेतु बढा** हुआ क्षेत्रफल नक्शे में मार्क कर एजेण्डा नोट **प्रस्तुत** किया है। नगरीय विकास विभाग के आदेश प. **3(543)**नविवि / 3 / 2009 दिनांक 13.10.11 में आवंटन के **समय** बताये गये क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल बढ़ जाने व **उसका** स्वतंत्र उपयोग संभव न होने पर, बढे हुये क्षेत्रफल **को स्ट्रीप** ऑफ लैण्ड न मानते हुये उक्त हिस्सा भूखण्ड **का ही** अविभाज्य हिस्सा माना है व अधिक क्षेत्रफल को **वर्तमान** आरक्षित दर पर आवंटित किया जाना उचित माना **है। समिति** की 121वीं बैठक में इसी के अनुसार निर्णय **किए** गए है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त **बढे** हुए क्षेत्रफल को स्ट्रीप ऑफ लेण्ड न मानकर भूखण्ड **का अविभाज्य** हिस्सा माना जाकर बढा हुआ क्षेत्रफल 23.25 **वर्गमीटर** को योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर **आवंटन** किये जाने का निर्णय लिया गया।
8.	15	123:8	श्रीमती नंदिता बागड़ी पुत्री श्री बृज रतन बागड़ी को सेज पुनर्वास योजना ग्राम कलवाडा में आवंटित आवासीय भूखण्ड संख्या 18 के बढे हुए क्षेत्रफल के आवंटन के संबंध में।	**उपायुक्त** द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट के अनुसार श्रीमती **नंदिता बागड़ी** पुत्री श्री बृज रतन बागड़ी को सेज पुनर्वास **योजना** ग्राम कलवाडा में आवासीय भूखण्ड संख्या 18 **क्षेत्रफल** 1250 वर्गमीटर आवंटन किया गया था। उक्त **भूखण्ड** का मौके पर क्षेत्रफल 52.5 वर्गमीटर बढ रहा है। **उपायुक्त** द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा **नोट प्रस्तुत** किया है। एजेण्डा नोट में भूखण्ड के बढे हुए **क्षेत्रफल** में नया भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता, संबंधी **टिप्पणी** भी अंकित की है। नगरीय विकास विभाग के **आदेश** प.3(543)नविवि / 3 / 2009 दिनांक 13.10.11 में **आवंटन** के समय बताये गये क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल **बढ़ जाने** व उसका स्वतंत्र उपयोग संभव न होने पर, बढे **हुये क्षेत्रफल** को स्ट्रीप ऑफ लैण्ड न मानते हुये उक्त **हिस्सा** भूखण्ड का ही अविभाज्य हिस्सा माना है व अधिक **क्षेत्रफल** को वर्तमान आरक्षित दर पर आवंटित किया जाना **उचित** माना है। समिति की 121वीं बैठक में इसी के **अनुसार** निर्णय किए गए है। अतः समिति द्वारा विचार **विमर्श कर** उक्त बढे हुए क्षेत्रफल को स्ट्रीप ऑफ लेण्ड न **मानकर** भूखण्ड का अविभाज्य हिस्सा माना जाकर बढा **हुआ क्षेत्रफल** 52.5 वर्गमीटर को योजना की वर्तमान **आवासीय** आरक्षित दर पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
9.	15	123:9	श्री अशोक कुमार शर्मा को जविप्रा की बालमुकुंदपुरा आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या बी–169 क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर के स्थान पर अन्य भूखण्ड आवंटन किये जाने बाबत।	**श्री अशोक** कुमार शर्मा को जविप्रा की बालमुकुंदपुरा **आवासीय** योजना में भूखण्ड संख्या बी–169 क्षेत्रफल 90 **वर्गमीटर** का आवंटन किया गया था। आवंटी को कब्जा **संभलाने** के दौरान मौके पर उक्त भूखण्ड हेतु भूमि **उपलब्ध** नहीं होना पाया गया। इसी प्रकार कुछ अन्य **भूखण्ड** हेतु भी भूमि उपलब्ध नहीं होने से पी.डब्ल्यू.सी. मिटिंग दिनांक 21.06.13 में योजना को रिवाईज कराकर नये भूखण्ड सृजित किये गये। उपायुक्त द्वारा भूखण्ड संख्या बी–169 के विनिमय हेतु योजना में रिक्त भूखण्ड संख्या सी–51 से सी–59, सी–62, सी–63 कुल 11 प्रत्येक क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर में से एक के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर पूर्व में आवंटित भूखण्ड व वर्तमान में प्रस्तावित भूखण्ड समान चौडाई की रोड पर होने की शर्त पर उपलब्ध नॉन कॉर्नर भूखण्ड संख्या में सी–51 से सी–59, सी–62, सी–63 कुल 11 प्रत्येक क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड लॉटरी

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण

				द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया। साथ ही अधिक क्षेत्रफल 30 वर्गमीटर की राशि योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर से लिये जाने का निर्णय भी लिया गया।
बैठक में प्रस्तुत निम्नांकित टेबल एजेण्डा पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–				
10.	12बी	123:9(1)	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. को ग्राम जयरामपुरा में पूर्व में आवंटित भूमि के आवंटन के संबंध में।	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. को ग्राम जयरामपुरा में 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। कम्पनी द्वारा तत्समय उक्त भूमि की राशि जमा नहीं कराई गई। अब कम्पनी द्वारा पुनः संशोधित आवंटन पत्र/मांग पत्र जारी करने का अनुरोध करने पर प्रकरण उपायुक्त द्वारा पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर संशोधित आवंटन पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया।
11.	2	123:9(2)	Auroveda Integral Foundation, Jaipur को विद्याधर नगर योजना के सैक्टर–7 में हॉस्पिटल हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	एलपीसी की 121वीं बैठक दिनांक 04.01.16 में Auroveda Integral Foundation, Jaipur को Multispeciality Hospital Medical Training and Research Center & Healing Centers for AYUSH को विद्याधर नगर योजना के सैक्टर–7 के भूखण्ड संख्या 7/P-7/Institutionl/I क्षेत्रफल 6204.06 व.मी. व भूखण्ड संख्या 7/Institutionl/II क्षेत्रफल 6288.25 व.मी. कुल 12492.31 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण स्क्रीनिंग कमेटी को भेजने का निर्णय लिया गया था। उक्त भूमि लेने हेतु संबंधित कम्पनी ने असहमति व्यक्त की है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त आवंटन का निर्णय निरस्त किया गया।
12.	14	123:9(3)	जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड जयपुर को ग्राम मोहब्बतपुरा तहसील फागी के खसरा नं. 350 रकबा 18.16 हैक्टेयर किस्म गै.मु. पहाड भूमि में से 900 व.मी. भूमि बीसलपुर पेयजल परियोजना में पानी की टंकी हेतु आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड जयपुर को ग्राम मोहब्बतपुरा तहसील फागी के खसरा नं. 350 रकबा 18.16 हैक्टेयर किस्म गै.मु. पहाड भूमि में से 900 व.मी. भूमि बीसलपुर पेयजल परियोजना में पानी की टंकी हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग को ग्राम मोहब्बतपुरा तहसील फागी के खसरा नं. 350 में से 900 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया। आवंटित की जाने वाली भूमि निदेशक (आयोजना) की सहमति से इस प्रकार चिन्हित की जाए कि शेष भूमि का भविष्य में समुचित उपयोग हो सके।
13.	15	123:9(4)	श्री छोटूलाल यादव पुत्र श्री मोलकराम यादव हि. 1/2 श्री विनोद यादव पुत्र श्री बंशीलाल यादव हि. 1/2 को सेज पुनर्वास योजना ग्राम कलवाडा में आवंटित आवासीय भूखण्ड संख्या 615 के बढे हुए क्षेत्रफल के आवंटन के संबंध में।	उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट के अनुसार श्री छोटूलाल यादव पुत्र श्री मोलकराम यादव हि. 1/2 श्री विनोद यादव पुत्र श्री बंशीलाल यादव हि. 1/2 को सेज पुनर्वास योजना ग्राम कलवाडा में आवासीय भूखण्ड संख्या 615 क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर आवंटन किया गया था। उक्त भूखण्ड का मौके पर क्षेत्रफल 87.5 वर्गमीटर बढ रहा है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। एजेण्डा नोट में भूखण्ड के बढे हुए क्षेत्रफल में नया भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता, संबंधी टिप्पणी भी अंकित की है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत अतिरिक्त क्षेत्र भूखण्ड संख्या 614 व 615 के मध्य का है। अतः यदि भूखण्ड संख्या 615 को आवंटन किया जाना है, तो भूखण्डधारी 614 से अनापत्ति ली जाकर योजना की वर्तमान आवासीय

अति. आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				आरक्षित दर पर आवंटन किया जावे अन्यथा उक्त बढ़े हुये क्षेत्रफल को भूखण्ड संख्या 614 व 615 के मध्य नीलाम किया जावे।
14.	9	123:9(5)	विमुक्ति संस्था, जयपुर को निजी खातेदारी की योजना शिव नगर विस्तार में विद्यालय हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा विमुक्ति संस्था, जयपुर को निजी खातेदारी की अनुमोदित योजना शिव नगर विस्तार के सुविधा क्षेत्र 5579.39 वर्गगज में विद्यालय के लिए भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। एजेण्डा नोट के अनुसार बीपीसी (एलपी) की बैठक में उक्त भूमि का End Use स्कूल हेतु निर्धारित हो चुका है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 2.9 की तालिका 1 के अनुसार माध्यमिक विद्यालय हेतु अधिकतम 4000 वर्गमीटर भूमि आवंटन का प्रावधान है। प्रस्तावित भूखण्ड का क्षेत्रफल निर्धारित मापदण्ड से अधिक होने के कारण समिति द्वारा विचार विमर्श कर विमुक्ति संस्था को शिव नगर विस्तार की 5579.39 वर्गगज भूमि योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई।

अति० सदस्य सचिव (एल.पी.सी.)
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त / अभियांत्रिकी–द्वितीय / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि / प्रशासन), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर
15. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
16. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10ए, 11, 12, 12ए, 12बी, 13, 13ए, 14, 14ए, 15 से 19
17. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
18. विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
19. रक्षित पत्रावली

अति० सदस्य सचिव (एल.पी.सी.)
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 123वीं बैठक दिनांक 11.03.16 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री शिखर अग्रवाल, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री पवन अरोड़ा, सचिव	सदस्य
3.	श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक (नगर आयोजना)	सदस्य
4.	श्री देवराज सिंह, निदेशक (वित्त)	सदस्य
5.	श्रीमति रश्मि गुप्ता, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
6.	श्री सतीश कुमार गोयल, अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण)	विशेष आमंत्रित
7.	श्री विष्णु कुमार गोयल, उपायुक्त जोन–1	विशेष आमंत्रित
8.	श्री रामलाल गुर्जर, उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित
9.	श्री मधुसूदन पालीवाल, उपायुक्त जोन–11	विशेष आमंत्रित
10.	डॉ. प्रवीण कुमार, उपायुक्त जोन–12ए व 12बी	विशेष आमंत्रित
11.	श्री बीरबल सिंह शेखावत, उपायुक्त जोन–13 व 13ए	विशेष आमंत्रित
12.	श्री नरेश सिंह तंवर, उपायुक्त जोन–15	विशेष आमंत्रित
13.	श्रीमती उषा जैन, विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित
14.	श्री गोविन्दराम डेनवाल, तहसीलदार जोन–2	विशेष आमंत्रित